भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2653
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- गन्ने की खेती
2653. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने तिरुपति जिले में गन्ने की खेती में हो रही निरंतर गिरावट का संज्ञान लिया है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में गन्ने के उत्पादन और उत्पादकता का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने अपर्याप्त सिंचाई, खेती की बढ़ती लागत, विलंबित भुगतान और श्रमिकों की कमी सहित इस गिरावट के कारणों का आकलन किया है;
(घ) क्या उन्नत किस्मों, मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई और चीनी मिलों को सुदृढ़ करके इसके पुनरुद्धार के लिए किसी विशेष सहायता का प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): आंध्र प्रदेश राज्य में, तिरुपति जिले सहित, पिछले पांच वर्षों के दौरान गन्ने का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का विवरण अनुबंध में दिया गया है।
भारत सरकार उन्नत किस्मों, मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई और चीनी मिलों को सुदृढ़ बनाने के माध्यम से गन्ने के उत्पादन और पुनरुद्धार को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। कुछ प्रमुख योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) आंध्र प्रदेश राज्य के लिए गन्ने की उच्च उपज वाली किस्में विकसित कर रहा है। आईसीएआर-गन्ना प्रजनक संस्थान (एसबीआई) ने हाल ही में जल्दी पकने वाली, उच्च उपज देने वाली और रेड-रॉट एवं स्मट रोग प्रतिरोधी किस्म Co09004 की पहचान की है, जो जारी करने के लिए तैयार है।

गन्ना विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) (पूर्ववर्ती एनएफएसएम) के तहत 2014-15 से आंध्र प्रदेश सहित 13 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गन्ने के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है, जिसमें किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदर्शनों और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण पर जोर दिया गया है।

कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) को आंध्र प्रदेश सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें परंपरागत रूप से मैन्युअल रूप से किए जाने वाले कार्यों को मशीनों और प्रौद्योगिकी के उपयोग से पूरा किया जाता है। गन्ने सहित फसल उत्पादन प्रणाली के प्रमुख घटक - जैसे भूमि की तैयारी, बुआई, सिंचाई, कटाई और फसलोपरांत संचालन - अब उपयुक्त मशीनों का उपयोग करके निष्पादित किए जाते हैं। यह न केवल प्रचालन दक्षता को बढ़ाता है बल्कि शारीरिक श्रम की मांग को भी काफी कम कर देता है। एसएमएएम को अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य महिला किसानों सहित छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र में लाकर और 'कस्टम हायरिंग सेंटर' को बढ़ावा देकर, हाई-टेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्र बनाकर, विभिन्न कृषि उपकरणों का

वितरण, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करके कृषि मशीनीकरण का लाभ देकर 'वंचितों तक पहुंचाना' है। इस योजना के तहत, वर्ष 2014-15 से 2026-27 (आज तक की स्थिति के अनुसार) की अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य को 955.28 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि जारी की गई है और व्यक्तिगत किसानों को सब्सिडी पर 299815 मशीनों की संख्या वितरित की गई है, 7108 सीएचसी, 62 हाई-टेक हब और 3428 एफएमबी स्थापित किए गए हैं।

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में वर्ष 2015-16 से लागू की जा रही है। पीडीएमसी योजना का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, विशेष रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। सूक्ष्म सिंचाई से जल की बचत होती है, साथ ही उर्वरक का उपयोग, श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागत कम होती है और किसानों की समग्र आय में वृद्धि होती है। यह योजना गन्ने सहित अधिक जल खपत वाली फसलों में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने पर बल देती है, ताकि जल की आवश्यकता को अनुकूलित किया जा सके। पीडीएमसी योजना के तहत, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इकाई लागत का 55% और अन्य किसानों के लिए 45% है। वर्ष 2015-16 से 2026-27 तक (अब तक), आंध्र प्रदेश राज्य में पीडीएमसी योजना के तहत 11.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया है, जिसके लिए कुल केंद्रीय सहायता राशि 3424.35 करोड़ रुपये जारी की गई है ।

गन्ने की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु, प्रत्येक गन्ना सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित किया जाता है। यह मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से परामर्श करके तय किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एफआरपी वह मानक लाभकारी मूल्य है, जिससे कम पर कोई भी चीनी मिल गन्ना उत्पादकों से गन्ना नहीं खरीद सकती।

गन्ना मिलें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य (एफआरपी) पर गन्ना खरीदती हैं। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत गन्ने के वितरण और आवागमन को विनियमित करने का अधिकार राज्य सरकारों को सौंपा गया है। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार गन्ना उत्पादन क्षेत्र को चीनी कारखाने के लिए आरक्षित कर सकती है और कारखाने को गन्ना आपूर्ति करने वाले गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति तथा संबंधित कारखाने को निर्धारित मात्रा में गन्ना आपूर्ति या खरीद के लिए समझौता करने का निर्देश दे सकती है।

निर्बाधित क्रसिंग कार्यों को बनाए रखने के लिए, चीनी मिलें अपनी दैनिक क्रसिंग आवश्यकताओं की पहले से योजना बनाती हैं और गन्ने की समय पर कटाई और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों के साथ समन्वय करती हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सहकारिता मंत्रालय के अधीन सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनसीडीसी ने 2023-24 से 2024-25 तक "सहकारी चीनी मिलों को मजबूत करने के लिए एनसीडीसी को सहायता अनुदान " लागू किया, जिसके तहत सहकारी चीनी मिलों को 10005.00 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया।

अनुबंध

दिनांक 04.08.2026 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2653 के भाग (क) और (ख) के संदर्भ में अनुबंध

आंध्र प्रदेश में जिलेवार गन्ने का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

स्रोत: डीए एंड एफडब्ल्यू

ज़िला	क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में)					उत्पादन (हजार टन)					उत्पादकता (किलोग्राम/हेक्टेयर)				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अल्लूरी सीताराम राजू			0.05	0.04	0.06			3.34	2.86	4.64			71021	68000	77000
अनकापल्ली			15.91	8.45	5.89			936.03	546.88	420.19			58822	64705	71346
अनंतपुरम	0.06	0.03	0.03	0.07	0.05	6.07	2.24	3.18	6.66	5.51	97968	86077	99313	95086	103642
अन्नमय्या			0.12	0.08	0.01			11.37	7.42	1.37			98852	95128	97571
बापतला			0.12	0.05	0.05			9.40	4.40	4.97			79000	88000	99000
चित्तूर	11.46	10.55	7.82	6.12	5.91	1044.99	1019.66	734.22	582.48	581.43	91154	96678	93866	95244	98372
पूर्वी गोदावरी	1.72	0.92	1.08	0.90	0.65	132.11	71.83	95.22	67.26	53.44	76718	77906	88409	74979	82160
एलुरु			1.44	1.34	0.51			138.07	127.47	51.93			96018	94972	102446
गुंटूर	0.16	0.15	0.08	0.08	0.04	14.45	14.58	5.85	5.57	3.16	91456	95268	71317	73263	82789
काकीनाडा			0.68	0.68	0.34			60.38	48.01	28.78			89049	70284	84312
कृष्ण	4.46	4.38	3.26	2.18	1.95	403.34	441.64	353.33	239.27	235.08	90497	100807	108551	109797	120279
कुरनूल	0.19	0.13	0.16	0.10	0.09	20.40	14.30	15.37	9.73	9.36	109661	111750	96081	95412	102451
नांदयाल			0.02	0.01	0.00			1.75	1.05	0.19			96944	95273	97000
नंदमुरी तारक रामा राव			0.64	0.43	0.34			46.17	32.67	29.01			72027	75796	85242
पालनाडु			0.05	0.01	0.00			3.08	0.88	0.20			68333	88000	99000
पार्वतीपुरम मन्याम			1.07	0.89	0.97			79.78	68.62	85.71			74837	77001	88571
प्रकाशम	0.17	0.18	0.08	0.02	0.01	12.49	13.73	5.32	1.26	1.13	74760	76721	65667	84000	93500

आंध्र प्रदेश में जिलेवार गन्ने का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

स्रोत: डीए एंड एफडब्ल्यू

ज़िला	क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में)					उत्पादन (हजार टन)					उत्पादकता (किलोग्राम/हेक्टेयर)				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	0.02	0.01				0.68	0.55				31000	79000			
श्री सत्य साई			0.02	0.02	0.01			1.95	1.43	0.51			92667	95200	101800
श्रीकाकुलम	3.94	3.59	0.95	0.69	0.71	284.15	251.02	85.26	52.27	61.29	72064	70000	90222	75965	86123
तिरुपति			2.12	1.90	1.22			191.73	173.82	120.33			90481	91572	98663
विशाखापत्तनम	23.63	19.59	0.04	0.02	0.01	1514.72	1193.90	2.71	1.43	1.00	64093	60945	67750	68000	77000
विजयनगरम	5.95	4.88	4.51	3.27	3.01	388.77	379.69	280.40	219.72	273.18	65307	77852	62228	67207	90653
पश्चिम गोदावरी	3.11	1.98	0.09	0.10	0.11	307.08	195.00	6.68	7.73	8.89	98770	98435	71021	76515	78363
वाईएसआर कडप्पा	0.07	0.13	0.09	0.05	0.04	5.35	8.65	8.30	4.97	4.01	76443	69200	95448	95538	102333
